भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2553
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

गुजरात में एफपीआई

2553. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है; और

(ख) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी निधि व्यय की गई है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित अवसंरचना ढांचे की स्थापना/विस्तार को गुजरात सहित देश भर में प्रोत्साहित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई ज्यादातर उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है और अब तक गुजरात राज्य में कुल 2 मेगा फूड पार्क, 25 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 4 कृषि - प्रसंस्करण क्लस्टर, 40 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 8 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाओं का निर्माण और 8 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 676.42 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है। गुजरात में अब तक, 1324.60 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

एमओएफपीआई ने पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है । यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रचालनरत है। गुजरात में पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता के लिए कुल 259 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं में राज्यवार निधि आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य को जारी की गई धनराशि **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

गुजरात में एफपीआई के संबंध में दिनांक 19.12.2023 लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2553 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

<u>वर्ष 2020-21 से पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य को जारी की गई धनराशि</u>

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2020 - 21	2021 - 22	2022 - 23	2023 - 24 *
गुजरात	16.55	8.47	0.00	7.02

***** दिनांक 30/11/2023 तक

****